राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 346/2014

महेन्द्र सिंह पंवार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (ख–4), शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.04.2014
आदेश की दिनांक : 16.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अनेकोबार अवसर प्रदान किये गये, परंतु अंतिम अवसर देने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं होने पर अपील में की गई प्रार्थना एवं तथ्यों के आधार पर निस्तारित की जाती है। अपील में प्रार्थना करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलाथी की पत्नी श्रीमती बीना देवी ने एक शिकायत की, जिसमें कथन किया कि अपीलार्थी शराब पीकर मारने–पीटने एवं अभद्र व्यवहार करता है, जिसमें दो गवाह के बयान कराये गये। अपीलार्थी की पत्नी की शिकायत के आधार पर आरोप सही मानते हुये अपीलार्थी के वेतन से 50 प्रतिशत राशि पत्नी के खाते में जमा करवाने के आदेश दिनांक 07.02.2014 को दिये। उनका कथन है कि यदि पत्नी के साथ मारपीट करता तो अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज करवा सकती थी। अपीलार्थी

के विरूद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और दूसरे के बहकावे में आकर इस प्रकार की कार्यवाही अपीलार्थी की पत्नी ने करवाई है, जो बयान करवाये गये हैं वो अपीलार्थी से द्वेषभाव रखते हैं। अपीलार्थी की पत्नी स्वयं जनाना अस्पताल में नौकरी करती है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायत सही पाये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4 उप नियम vi के अनुसार दोषी पाये जाने पर आक्षेपित आदेश दिनांक 07.02.2014 के द्वारा अपीलार्थी के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु अपीलार्थी की पत्नी द्वारा बताये गये खाते में सीधे जमा किये जाने के आदेश एवं शेष 50 प्रतिशत राशि नियमानुसार अपीलार्थी के खाते में जमा कराने की कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.09.2013 के अनुसार जारी की गई है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अनुभाग अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती बीना देवी की एक शिकायत के आधार पर आरोप सही मानते हुये अपीलार्थी के वेतन से 50 प्रतिशत राशि पत्नी के खाते में जमा करवाने के आदेश दिनांक 07.02.2014 को दिये। जहां तक आदेश दिनांक 07.02.2014 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध उसकी पत्नी के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शिकायत सही पाये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4 उप नियम vi के अनुसार दोषी पाये जाने पर आक्षेपित आदेश दिनांक 07.02.2014 के द्वारा अपीलार्थी के मासिक वेतन का 50 प्रतिशत

पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु अपीलार्थी की पत्नी द्वारा बताये गये खाते में सीधे जमा किये जाने के आदेश एवं शेष 50 प्रतिशत राशि नियमानुसार अपीलार्थी के खाते में जमा कराने की कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.09.2013 के अनुसार जारी की गई है। इस प्रकार हम उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)